अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(46) ग्राविवि/ग्रुप–5/पीएमएवाईजी/एम–1/जीओआई/2017–18 जयपुर दि. 11 जून, 2018

संयुक्त सचिव (ग्रा.आ.) ग्रामीण विकास विभाग,
ग्रामीण विकास मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत अतिरिक्त पात्र परिवारो के नाम जोडने हेतु "आवास प्लस एप" एवं Web application के क्रम में।

प्रसंगः– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 05.06.2018

सन्दर्भः–आपका पत्रांक J-11060/14/2017-RH(M&T) दिनांक 19.03.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र की पालना में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की स्थायी वरीयता सूची में अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों की पहचान कर शामिल किये जाने की समस्त कार्यवाही हेतु विभागीय पत्र दिनांक 21.03.2018 द्वारा निम्नानुसार निर्धारित कार्यक्रम अनुसार दिनांक 30 जून, 2018 तक पूर्ण करवाने हेतु निर्देशित किया गया :–

क्र.स.	नाम गतिविधि	निर्धारित दिनांक
1	वंचित पात्र व्यक्ति से अपील/प्रार्थना पत्र प्राप्त करना	16.04.2018 तक
2	पूर्व में विचाराधीन अपीलें एवं जिला स्तर/ब्लॉक स्तर पर प्राप्त नवीन अपीलों को ग्राम पंचायतवार सूचीबद्ध कर ग्रामसभा से अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराना	
3	ग्रामसभाओं का आयोजन (यदि ग्राम सभा आयोजित हो गई हो तो भी नये प्रार्थना पत्र/अपीलों सहित पुनः ग्राम सभा आयोजित की जावें)	16.04.2018 से 30.04.2018 तक
4	ब्लॉक स्तरीय प्राधिकृत समिति द्वारा परीक्षण उपरांत अभिशंषा के साथ सूची जिला क्रियान्वयन, निगरानी, समन्वय एवं अपीलेट कमेटी का प्रस्तुत करना एवं आवास सॉफ्ट में "आवास प्लस" द्वारा ग्राम सभा का कार्यवाही विवरण अपलोड करना	21.05.2018 तक
5	जिला क्रियान्वयन, निगरानी, समन्वय एवं अपीलेट कमेटी द्वारा परीक्षण उपरांत अभिशंषा के साथ सूची विभाग को प्रस्तुत करना एवं "आवास प्लस" पर प्रस्तावित सूची अपलोड करना	05.06.2018 तक

इस कम मे दिनांक 16 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2018 तक राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों में विशेष ग्रामसभाएं आयोजित हो चुकी है, जिसमें जिलो से प्राप्त सूचना अनुसार लगभग 24 लाख प्राप्त प्रार्थना पत्र ग्राम संभा के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये गये। उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 25.05.2018 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आवास प्लस एप का प्रशिक्षण दिया गया, जिसकी पालना में राज्य स्तर से दिनांक 30.05.2018 को सभी जिलो को प्रशिक्षण दिया जाकर पात्र लाभार्थियों का विवरण आवास प्लस एप के माध्यम से आवाससॉफ्ट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्तानुसार जारी कार्यक्रम के क्रम में ब्लॉक स्तर से पात्र लाभार्थियो का विवरण "आवास प्लस" के द्वारा अपलोड किये जाने हेतु दिनांक 21.5.18 की अवधि निर्धारित की गई है, लेकिन अभी तक "आवास प्लस" का टेस्ट–वर्जन ही उपलब्ध होने के क्रम में जिलो को आवास प्लस एप पर तकनीकी प्रावधान उपलब्ध नहीं होने /समस्याओं के कारण लाभार्थियों का विवरण अपलोड करने नहीं हो पा रहा है। इस क्रम में प्रासंगिक पत्र दिनांक 5.6.18 द्वारा "आवास प्लस ऐप" की समस्याओ का निराकरण कर "आवास प्लस" को गूगल प्ले स्टोर पर जारी करने के साथ लाभार्थी की जानकारी ब्लॉक स्तर से अपलोड करने की सुविधा हेतु Webbased application का प्रावधान भी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि "आवास प्लस एप" एवं संबंधित Webbased application की सुविधा शीघ्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराने का श्रम करावें, जिससे निर्धारित कार्यक्रम अनुसार कार्यवाही पूर्ण कराई जा सके।

(कुंजी लाल मीणा)
प्रमुख सचिव

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. निदेशक, ग्रा.आ., ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
5. श्री पी.के. मित्तल, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. प्रोग्रामर, ग्रा.वि.वि. को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि